राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

दिनांक :– 27/08/23

कैम्प कोर्ट का स्थान सिंहपुर

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिंहपुर व भू–अभिलेख निरीक्षक सिंहपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 117 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	सिंहपुर	117	जीता पति लोकचन्द हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. रहे खातेदार	जीताबाई पति लोकचन्द हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. रहे खातेदार

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:53:10 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक 204

दिनांक :– 07/7/2023

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, कपासन को भेजे कर लेख है कि आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा